उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या 306 / XIII-II / 2013–54(5) / 2003
देहरादून : दिनांक : 05 दिसम्बर, 2013

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के कियान्वयन हेतु सम्बन्धित परियोजना मुख्यालय, परियोजना निदेशक, उप परियाजना निदेशक कार्यालयों एवं अन्य इकाईयों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर चयन के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 353/कृषि एवं जलागम/04 दिनांक 08.4.2004 के प्रस्तर–2(अ) में उल्लिखित राजपत्रित पदों के हेतु गठित चयन समिति निम्नानुसार संशोधित की जाती है :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, जलागम या प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित अपर सचिव, अध्यक्ष।
(2) मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से न्यून न हो।
(3) प्रमुख वन संरक्षक या उनके द्वारा नामित।
(4) निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
(5) निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड।
(6) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
(7) सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर सचिव स्तर से अन्यून न हो।

2– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों, यथा कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पशुपालन, वन, उद्यान, लघु सिंचाई आदि से राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों/कार्मिकों का प्रतिनियुक्ति पर चयन शासनादेश संख्या 353/कृषि एवं जलागम/04, दिनांक 08.4.2004 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा, परन्तु निर्धारित आयु की गणना 01 सितम्बर 2013 आधार पर की जाएगी।

3– शासनादेश संख्या 353/कृषि एवं जलागम/04 दिनांक 08.4.2004 में उल्लिखित शेष प्राविधान/शर्ते उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित संशोधनों के अतिरिक्त यथावत रहेंगी।

(डॉ. एम.सी.जोशी)
अपर सचिव

संख्या 306 (1) / XIII-II / 2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त बोर्ड/निगम, उत्तराखण्ड।
8. एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उपसचिव

C:\Users\dell\Desktop\Arti. 2012\U.O letter.doc